संख्या– /XVIII(II)/2020–18(18)/2020

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः 27 अप्रैल, 2020**

विषयः– दिया शिक्षा एवं विकास समिति, देहरादून को स्टेट ऑफ इंस्टीटयूट की स्थापना हेतु आवंटित 7.0650 है0 भूमि एवं उस पर निर्मित भवन राज्य सरकार में निहित होने के उपरान्त हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के संचालन हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2209/डीएलआरसी/कैम्प–2020, दिनांक 09 अप्रैल, 2020 तथा पत्र संख्या–2234/डीएलआरसी0/2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दिया शिक्षा एवं विकास समिति, देहरादून को स्टेट ऑफ इंस्टीटयूट की स्थापना हेतु ग्राम सैन्ट्रल होप टाउन, तहसील विकासनगर के खाता संख्या–964,972,1021,1048,1049,1052,1058,1059,1061,1063,1066,1069,1072,1076,1084,1088, 1093,1095,1097,1104,1116,1120,1124,1158 के खसरा नं0–1353 की भूमि फसली वर्ष 1359 के अनुसार नदी आसन की भूमि थी, जो अभिलेखों में श्रेणी–6(1) जलमग्न भूमि/नदी श्रेणी के रूप में खतौनी फसली वर्ष 1388 से 1393 में अंशतः अंकित है, कुल 7.0650 है0 भूमि एवं उस पर निर्मित भवन को हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को संचालित किये जाने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिया शिक्षा एवं विकास समिति, देहरादून को स्टेट ऑफ इंस्टीटयूट की स्थापना हेतु ग्राम सैन्ट्रल होप टाउन, तहसील विकासनगर के खाता संख्या–964,972,1021,1048,1049, 1052,1058,1059,1061,1063, 1066, 1069,1072,1076,1084,1088, 1093,1095,1097,1104,1116,1120,1124,1158 के खसरा नं0–1353 की भूमि फसली वर्ष 1359 के अनुसार नदी आसन की भूमि थी, जो अभिलेखों में श्रेणी–6(1) जलमग्न भूमि/नदी श्रेणी के रूप में खतौनी फसली वर्ष 1388 से 1393 में अंशतः अंकित है, कुल 7.0650 है0 भूमि एवं उस पर निर्मित भवन को जनहित एवं लोक कल्याणार्थ तथा कोरोना वायरस (Covid-19) एवं चिकित्सीय व्यवस्था के दृष्टिगत चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में आवंटन करते हुए प्रस्तावित भूमि की श्रेणी–6(1) जलमग्न से भिन्न श्रेणी में इन्द्राज करने हेतु उत्तर प्रदेश भूमि लेख नियमावली–1995 की धारा–155(क) के अन्तर्गत किए जाने की अनुमति

....2

इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-233/2008 श्रीमती बीना बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 10-04-2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या-727/XVIII(II)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, देहरादून।
3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4- निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द)
अनु सचिव।